मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
250	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1432) दि. 12-07-2019 (श्री गोपाल भार्गव)	सागर जिले के विधान सभा क्षेत्र रहली के गढ़ाकोटा नगर में स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।	(1) जनवरी 2019 से शुरू हो गया है और आने वाले 6 माह के अंदर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। (2) माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ कि 6 माह के अन्दर, आपके ये भवन बनकर कम्पलीट हो जाएंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
251	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.1321) दि. 12-07-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ))	रीवा एवं सतना जिलों में खनिज उत्खनन में लायसेंस प्रदाय किया जाना तथा अवैध रूप से खनिज उत्खनन करने के दोषियों के विरूद्ध जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
252	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.1129) दि. 12-07-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	रीवा जिले के अंतर्गत जे.पी. एसोसिएट्स प्रायवेट लिमिटेड एवं अल्ट्राटेक सीमेंट प्रायवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा खनिज उत्खनन से हुए गड्ढों को भरा जाना तथा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने वाले लीज धारकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	निष्पादित अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर लीजधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। लीजधारकों से उत्तर प्राप्त होने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
253	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1560) दि. 12-07-2019 (श्री मुन्नालाल गोयल)	प्रदेश के ग्वालियर सिटी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत धन राशि से विकास कार्य किया जाना।	आपके आधार पर ही उसकी पूरी डीपीआर तैयार भी की जा रही है और जैसे ही डीपीआर पूरी हो जायेगी उस पर टेण्डर किया जायेगा और पूरा काम जैसा आप चाहोगे वैसा किया जायेगा।		
254	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.187) दि. 12-07-2019 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर)	खाचरौद नगर में मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना अंतर्गत जल प्रदाय किया जाना।	जी हाँ। प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। निष्कर्षो के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।		
255	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.9) दि. 12-07-2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा)	होशंगाबाद जिले में नगर पालिका/नगर पंचायतवार नागरिकों को वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ दिया जाना।	जिन नागरिकों ने वाटर हार्वेस्टिंग कार्य कर लिया है, उनके आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया अनुसार उन्हें राशि वापिस की जा सकेगी।		
256	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.601) दि. 12-07-2019 (श्री महेन्द्र हार्डिया)	इंदौर जिले में नगर निगम अंतर्गत अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों पर कार्यवाही किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
257	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.1324) दि. 12-07-2019 (श्री रामेश्वर शर्मा)	भोपाल स्थित संत हिरदाराम नगर में बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर को हटाया जाना।	सेन्ट्रल रोड एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट से प्रतिवेदन एवं अभिमत प्राप्त होने के उपरांत इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।		
258	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.1334) दि. 12-07-2019 (श्री प्रवीण पाठक)	सीहोर नगर सुधार न्यास में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना।	वर्ष 2018 में शासन के निर्देशानुसार इन 02 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किया गया है। इन 02 विनियमित कर्मचारियों को भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त होने पर नियमानुसार नियमित किया जायेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
259	अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.176) दि. 12-07-2019 (श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय)	जिला दमोह के हटा नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य किया जाना।	निविदाएं प्राप्त होने पर प्रावधान अनुसार रोड निर्माण के संबंध में आगे कार्यवाही की जा सकेगी।		
260	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.877) दि. 12-07-2019 (डॉ. हिरालाल अलावा)	धार जिले के विधान सभा क्षेत्र मनावर में अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों के निर्माणकर्ताओं/ कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।		
261	अतारांकित प्रश्न सं.43 (प्रश्न क्रं.1005) दि. 12-07-2019 (श्री अरविंद सिंह भदौरिया)	भिण्ड जिले के नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद में लोकायुक्त एवं राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में दर्ज प्रकरण में कार्यवाही किया जाना।	लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 424/13 में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जांच पूर्ण कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग से अभियोजन स्वीकृति चाही गई है। अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।		
262	अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.1403) दि. 12-07-2019 (श्री अजय विश्नोई)	जबलपुर नगर के कठोंदा प्लांट के चारों ओर के भू-मालिकों को भूमि का स्वामित्व अधिकार दिया जाना।	जानकारी प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
263	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.178) दि. 12-07-2019 (श्री उमाकांत शर्मा)	(1) प्रदेश में स्कूल बसों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करने हेतु समिति का गठन किया जाना व संबंधित बैठक में प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को सम्मिलित किया जाना। (2) प्रदेश में स्कूल बसों की दुर्घटनाएं रोकने के लिए नीति बनाया जाना। (3) प्रदेश में स्कूल बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संबंधित स्कूल के प्राचार्य का उत्तरदायित्व जोड़ा जाना।	(1) जब हम इस प्रकार की मीटिंग बुलाएंगे तो माननीय सदस्य को उसमें रखेंगे। (2) अध्यक्ष महोदय, सदस्य की जो जिज्ञासा है इस पर हम जल्दी ही विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर कोई ऐसी नीति लांएगे ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न घटे और समय समय पर वाहनों की जांच भी होती रहे और पूरे प्रदेश में कहीं भी दुर्घटना न हो. बस चालकों एवं वेन वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सामूहिक रूप से बैठकर हम एक निर्णय लेंगे, ताकि इस प्रकार की कहीं भी दुर्घटना न हो और सदस्य की शंका का पूरा समाधान रखा जाएगा। (3) इस पर हम विचार करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

पशुपालन विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
264	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.1045) दि. 12-07-2019 (श्री शरदेन्दु तिवारी)	सीधी जिला अंतर्गत चुरहट विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु गौशालाऐं एवं अन्य संस्थाओं की व्यवस्था की जाना।	राज्य शासन द्वारा गौशाला परियोजना अंतर्गत 5 गौशालाएं खोली जा रही हैं। जिनमें पशु पालकों के सहयोग से निराश्रित गौवंश को ले जाने की व्यवस्था की जावेगी।		
265	अतारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.1237) दि. 12-07-2019 (श्री महेश परमार)	उज्जैन जिला अंतर्गत पंजीकृत क्रियाशील गौशालाओं में गायों के संरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार कर सुविधा प्रदाय किया जाना।	(1) निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जावेगा। (2) जी हाँ। निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।		

वन विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
266	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.629) दि. 12-07-2019 (श्री विजयपाल सिंह)	होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के सतपुड़ा टाईगर रिजर्व वन ग्रामों से विस्थापित ग्रामीणों का विस्थापन कर मूलभूत सुविधायें प्रदान किया जाना।	उक्त संबंध में वन भूमि के डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा इन ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में मान्य करने की कार्यवाही की जावेगी।		
267	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.454) दि. 12-07-2019 (श्री संजय सत्येन्द्र पाठक)	कटनी जिले के अंतर्गत वन मंडल कटनी क्षेत्र वानिकी में वृक्षारोपण कार्यो में हुई अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	किये गये वृक्षारोपण के जीवित पौधे तथा मृत पौधों के संबंध में विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये हैं, जांच के पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।		
268	अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.1250) दि. 12-07-2019 (श्री जालम सिंह पटैल)	नरसिंहपुर जिले में नौरादेही वन्य अभ्यारण्य में चीता को संरक्षण प्रदान किया जाना तथा अभ्यारण्य में बसने वाले ग्रामीणों को विस्थापित कर मुआवजा राशि प्रदाय किया जाना।	19 ग्रामों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है।		
269	अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्रं.1257) दि. 12-07-2019 (श्री राज्यवर्धन सिंह)	राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को नुकसान से बचाने हेतु वन भूमि पर तार फेसिंग/जाली लगाया जाना।	कार्यवाही वनमण्डल राजगढ़ स्तर से प्रचलित है।		
270	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.1322) दि. 12-07-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ))	सीधी जिले के वन परिक्षेत्र बहरी में पदस्थ श्री रामस्वरूप पटेल के द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
271	अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.1515) दि. 12-07-2019 (श्री कुणाल चौधरी)	वर्ष 2014 से दिसम्बर 2018 तक नर्मदा यात्रा के दौरान किये गये वृक्षारोपण में आर्थिक अनियमितता की प्राप्त शिकायतों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच संस्थित कर कार्यवाही किया जाना।	जीवितिता की पुन: जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने पर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
272	वर्ष 2019-2020 के आय--व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमांक 0) दि. 12-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, श्री जालम सिंह पटैल)	(1) मंदसौर बस स्टेण्ड पर पूर्व संचालित दीनदयाल रसोई पुन: शुरू किया जाना । (2) दीनदयाल रसोई योजनान्तर्गत भोजन थाली का मूल्य बढ़ाया जाना ।	(1) जरूर, अध्यक्ष महोदय, यही तो हम अपेक्षा कर रहे है । (2) जो आदरणीय जालम सिंह पटेल जी ने कहा है, इस पर भी हम पुनर्विचार करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 12-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
273	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1248) दि. 12-07-2019 (श्री जालम सिंह पटैल)	शासन के वचन पत्र में वर्णित विषय क्र. 06 में निजी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत् शिक्षकों को नियमितीकरण की नीति लागू कर वेतन वृद्धि किया जाना।	स्कूल शिक्षा विभाग की बात मैंने पूर्व में ही बता दी है कि इसमें परीक्षण किया जा रहा है. परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जायेगी।		
274	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1354) दि. 12-07-2019 (श्री राहुल सिंह लोधी)	टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के बल्देवगढ़ एवं पलेरा ब्लॉक में पांच वर्षो से अधिक समय से कार्यरत् शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जाना।	माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है, जो भी शिकायत वे देंगे, उसकी निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे और वहां अगर कोई कमी पाई जायेगी तो हम कार्यवाही करेंगे।		
275	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.170) दि. 12-07-2019 (श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय)	दमोह जिला अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य एवं अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना।	शिक्षक शिक्षा संवर्ग में प्राचार्य डाईट संवर्ग के लोक सेवक उपलब्ध नहीं होने से समकक्ष स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।		
276	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.391) दि. 12-07-2019 (श्री रामपाल सिंह)	रायसेन जिला अंतर्गत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना।	व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। परिणाम घोषित होने के बाद रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही की जावेगी।		
277	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.895) दि. 12-07-2019 (श्री सुरेश धाकड़)	शिवपुरी जिला अंतर्गत स्कूलों में गणवेश वितरण एवं निर्माण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	शिवपुरी जिले में गणवेश वितरण की जाँच प्रचलन में है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
278	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1184) दि. 12-07-2019 (श्री कुँवरजी कोठार)	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक स्थानीय निधि से सामग्री क्रय/अन्य कार्यो में शासकीय राशि खर्च करने की प्राप्त शिकायतों में जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये है । जांच प्रतिवेदन उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
279	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.1213) दि. 12-07-2019 (श्री इन्दर सिंह परमार)	प्रदेश के अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना ।	(1) अध्यापक संवर्ग को दिये गये छठवें वेतनमान के वेतन निर्धारण के अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलित है, इसके पश्चात् नवीन शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा सकेगी। (2) शेषांश के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है, यदि नियमों की व्याख्या में कोई विसंगति पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
280	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.1392) दि. 12-07-2019 (डॉ. मोहन यादव)	स्थानान्तरण नीति 2017-18 एवं परिपत्र क्र. एफ 61/2019/एफ-9, दिनांक 22 फरवरी 2019 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत् कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण के संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	शेषांश के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है, यदि नियमों की व्याख्या में कोई विसंगति पाई जाती है तो नियम अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
281	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.1469) दि. 12-07-2019 (श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा)	होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सिवनी मालवा अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों एवं प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।		
282	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.1484) दि. 12-07-2019 (श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)	कटनी जिला अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के कुल 3598 अध्यापकों के प्रान खातों में से गुमशुदा राशि को जमा कराया जाना ।	(1) परीक्षणोपरांत नियमित अशंदान जमा करने की भांति गुमशुदा राशि भी जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी। (2) परीक्षणोपरांत यथाशीघ्र जमा कराया जायेगा।		
283	अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.342) दि. 12-07-2019 (श्री अनिल जैन)	विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना ।	माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु पी.ई.बी. द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	अतारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.553) दि. 12-07-2019 (श्री गिर्राज डण्डौतिया)	जिला मुरैना के विधान सभा क्षेत्र अम्बाह में प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक स्टॉफ एवं अन्य पदों की पूर्ति किया जाना।	पी.ई.बी. के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त नियोजन की कार्यवाही की जावेगी।		
285	अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.933) दि. 12-07-2019 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर संभाग अंतर्गत कार्यरत् पात्र लोक सेवकों को तृतीय समयमान-वेतनमान का लाभ दिया जाना।	17 लोक सेवकों को तृतीय समयमान वेतनमान देने की कार्यवाही संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर कार्यालय में प्रचलन में है, जिनकी पात्रता परीक्षण कार्यवाही प्रचलन में है।		
286	अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.1102) दि. 12-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उप संचाक एवं इससे उच्च पदों के अधिकारियों को उनके स्वत्व यथा - पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि उपादान का भुगतान किया जाना तथा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों को उनके स्वत्वों का विलंब से भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) अधिकारियों के स्वत्वों का भुगतान लंबित है, उनके प्रकरण परीक्षणाधीन होकर कार्यवाही प्रचलन में है। (2) प्रकरण परीक्षणाधीन है, परीक्षणोंपरांत कार्यवाही संभंव हो सकेगी।		
287	अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.1361) दि. 12-07-2019 (श्री शिवनारायण सिंह)	उमरिया जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 24 एवं 30 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना।	शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण कराकर लाभान्वित किया जाएगा।		
288	अतारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.1477) दि. 12-07-2019 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र केंट में बी.आर.सी.सी. कार्यालय, नगर-2 रांझी में बी.आर.सी.सी. के रिक्त पद की पूर्ति किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
289	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.1490) दि. 12-07-2019 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल हेतु नवीन शाला भवन का निर्माण किया जाना तथा अपूर्ण प्राथमिक शाला/विद्यालय भवनों के लिए जिम्मेदार एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) प्राथमिक शाला करपा स्वीकृत वर्ष 2004-05 ऐजेंसी की लापरवाही के कारण अपूर्ण है, जिसके विरूद्ध आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जर्जर शाला भवनों के स्थान पर स्वीकृत 12 शाला भवन का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है।		